


उत्तर प्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3  
संख्या-250भा0स0/60-3-06-3(22)/05  
लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2006


अधिसूचना

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005<sup>\*</sup> (The Protection of women from Domestic Violence Act-2005) संख्या-43 सन् 2005 की धारा-8 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोवेशन अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी ( Protection Officer) के रूप में नामित करते हैं, जो अपने-अवने जिलों के क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन अधिकारों का और शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

भा.सा.से,  
  
बलविन्दर कुमार  
सचिव।

संख्या-250भा0स0(1)/60-3-06-3(22)/05, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इसस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को सरकारी गजट के अगले अंक में विधायी परिशिष्ट खण्ड-ख एवं भाग-4 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
  - 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
  - 3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
  - 4- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
  - 5- समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

भा.सा.से,  
  
(बलविन्दर कुमार)  
सचिव।